

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2- 17/0 /ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(79)-2017
लखनऊ: दिनांक: ५ नवम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों पर समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात्

(i) सारणी में,-

(क) क्रम सं० 5 में, स्तम्भ (3) में शब्द “सरकारी प्राधिकारी” के स्थान पर शब्द “केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण” रख दिए जायेंगे;

(ख) क्रम सं० 9ख और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9ग	अध्याय 99	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के सापेक्ष केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय निकाय या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी इकाई द्वारा की जाने वाली सेवा की पूर्ति।	कुछ नहीं	कुछ नहीं”;

(ग) क्रम सं0 21 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21क	शीर्षक 9965 or शीर्षक 9967	<p>किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसमें गैर रजिस्ट्रीकृत नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति भी आते हैं, और जो निम्नलिखित व्यक्तियों से भिन्न हों, के द्वारा प्रदान की गयी सेवाएँ:-</p> <p>(क) कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या उसके द्वारा शाषित कोई कारखाना; या</p> <p>(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1860) के अधीन या तत्समय भारत के किसी भाग में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी ; या</p> <p>(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई सरकारी समिति; या</p> <p>(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगमित निकाय; या</p> <p>(ङ) कोई भी भागेदारी फ़र्म चाहे वह किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, इसमें व्यक्तियों के संघ भी सम्मिलित हैं;</p> <p>(च) केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम या राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति।</p>	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(घ) क्रम सं0 23 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"23क	शीर्षक 9957	किसी संदत्त वार्षिकी पर किसी सड़क या किसी पुल तक पहुँच प्रदान करने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ड) क्रम सं0 41 में, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“औद्योगिक भू-खण्ड या ऐसे भू-खण्ड जो वित्तीय-कारबार की अव-संरचनाओं के विकास के लिए हों तथा राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम या उपक्रम या किसी अन्य इकाई द्वारा दीर्घ कालीन अवधि (तीस वर्ष या इससे अधिक) के लिए पट्टे पर दिये गए हों जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, का स्वामित्व 50% या इससे अधिक हों, तो ऐसी सेवा के सम्बन्ध में संदत्त की जाने वाली अग्रिम (upfront) राशि, (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत, विकास खर्च या आँय किसी भी नाम से जाना जाता हो)”

(ii) पैराग्राफ 2 में, खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात्

“(ZF) “सरकारी प्राधिकरण” का तात्पर्य किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय से है जो-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा गठित हो; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित हो,

और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।


(zfa) “सरकारी इकाई” का तात्पर्य किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय (जिसमें सोसाइटी, न्याय, निगम भी सम्मिलित हैं) से है जो,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा गठित हो; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित हो,

और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।”

2- यह अधिसूचना तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(राजेंद्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव